

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

शीताराम वगै० बनाम कैलाश वगै०

किरम मुकदमा- इजराय

मुकदमा नम्बर-38/2023

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तारीख म  
जारी हुय

03.08.2023

वकील डिक्रीदार श्री कमलेश कुमार शर्मा प्रथम एड० ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2023 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का रथगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 31.08.2023 को पेश हो।

21.10.2024

पत्रावली तारीख/दिनांक से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। ~~मुकदमा अधिकारी, श्रीमाधोपुर~~ <sup>दिलीप सिंह</sup> सीवरमल यादव, भू अभिलेख निरीक्षक कार्यालय हाजा द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण में ऑनलाईन मिलान किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 465 दिनांक 28.11.2023 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुकी है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अतः इजराय पत्रावली को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर खारिज की जाकर फैसल किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)



ऑनलाईन  
मिलान किया  
गया। कार्रवाई  
की पालना  
नं. सं. 465  
दिनांक 28.11.23  
द्वारा की गयी।  
3/10/24